



120/1

दस्तावेज - 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1249/05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक : 26 जून 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (ब्लॉक) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु क्रमशः 20+26 कुल 46 गलियों हेतु अनुदान संख्या-37/83 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0952000105034436	IFSC Code PUNB0093200	667.675

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/अन्तिम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० रामपुर	वार्ड सं०-34 मो० खारी कुआं में आशा बी के मकान से दुलारे खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	248.627
2				वार्ड सं०-34 मो० चाह इच्छा राम में खजूर वाली मस्जिद के सामने से पंकज रस्तोगी अभिषेक के मकान व होमियोपैथी चिकित्सालय व सनातन धर्मशाला तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
3				वार्ड सं०-34 के मो० चाह इच्छा राम में राधा कृष्ण मन्दिर के सामने से प्रशान्त मेडिकल की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
4				वार्ड सं०-34 में चाह इच्छा राम में मुनीश्वर दत्त मन्दिर से मिस्टन गंज चौक सब्जी मण्डी वाली मस्जिद तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
5				वार्ड सं०-35 के मो० चाहा खानसामा में कोपले वाली मस्जिद के सामने से अतीक भाई जनरल स्टोर, नसी अहमद, जावेद खां, मुनवर मिवा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
6				वार्ड नं० 36 डिग्री कालेज के पास मो० बगीचा चौघरान में कलीम भाई की दुकान से हाशिम भाई व नूर भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
7				वार्ड नं० 36 डिग्री कालेज के पास मो० बगीचा चौघरान में अख्तर खां के मकान से नईम खां व कदीर भाई से मन्जूर खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
8				वार्ड नं० 36 डिग्री कालेज के पास मो० अयाजुल रहमान के मकान से रामपुर ने०हा० सेकेन्डरी स्कूल के पास तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
9				वार्ड नं० 37, मो० जोगी राम की बगिया में लईक अहमद के मकान से अस्तर खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	



120/2

दस्तावेज - 2281/79
22607/10

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
10				वार्ड नं० 38 मो० घर कलन्दर खां निकट ऊँची मस्जिद में जावेद खां के मकान से रिजवान खां, जाकिर खां, मुन्ने भैंस वाले व खुशनूर मिया के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
11				वार्ड सं० 38 में घर कलन्दर खां निकट ऊँची मस्जिद में शफीक के मकान से मन्जू व वाहिद भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
12				वार्ड सं० 38 में घर कलन्दर खां निकट ऊँची मस्जिद सैय्यद खां के मकान से मुमताज अली आदि के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
13				वार्ड सं० 40 मो० घर हजरत नूर खां में मुताहिर मिया के मकान से कुदरत अली व अकरम अली के घर होते हुये मुस्ताक अली के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
14				वार्ड सं० 40 मो० हजरत नूर खां में लतीफ खां के मकान से सईद खां, कुदरत अली के घर से बेचा खां व नईम खां के घर से नाहिद खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
15				वार्ड सं० 40, मो० बरेली गेट रोड के किनारे से आसिफ भाई की दुकान से कब्रिस्तान तक, पानी टंकी होते हुये अलाउद्दीन व लड्डन भाई के मकान के पास पुलिया तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
16				वार्ड सं० 40 मो० घर रहमत खां मस्जिद में उमर फारूक के पास काफू भाई के मकान से आरा मशीन तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
17				वार्ड नं० 40 मो० मस्जिद जहरुद्दीन में तीतर वानी पाखड रोड के किनारे दिल्लन खां के मकान से लुक्के खां के मकान तक, कलीम खां के मकान से ताहिर खां के मकान तक, महबूब खां के घर से फिरासत खां व मो० नासिर के मकान से दमीर साहब के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
18				वार्ड नं० 43, मो० घर कटेबाज खां में सलीम के मकान से अमन बेल्लिंग दुकान व चाह खजान चौराहा तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
19				वार्ड सं० 43 मो० मजार फोर शाह मियां बगीचा छोटे मिकया में शमशाद के मकान से अकरम, शकीर अली, महमूद मिया, खलील अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
20				वार्ड नं० 43, मो० झण्डा में भूरा भाई के मकान से वहजादी पत्रकार के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
21	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० रामपुर	वार्ड सं० 25, मो० बमन पुरी में घसीटा भाई के मकान से हसन भाई पुलतन भाई, डल्लू भाई व नन्नी भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	419.048
22				वार्ड सं०-28 मो० भैया की बगिया में शाहिद के मकान से वसीम के मकान तक व अकबर के मकान से मुन्ने खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	

W



120/3

दस्तावेज - 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मस्जिद	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
23				वार्ड सं० 28 मो० इन्दिरा कालोनी में कमला के मकान से सतेन्द्र व कुवर सेन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
24				वार्ड सं० 28, मो० इन्दिरा कालोनी में साधू राम के मकान से दिनेश मानद, राजेन्द्र बहादुर व विनीत रस्तोगी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
25				वार्ड सं० 28 मो० इन्दिरा कालोनी में पंकज सक्सेना के मकान से मुकुल पाठक के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
26				वार्ड सं० 28 मो० इन्दिरा कालोनी में कौशल्या देवी के मकान से ट्रांसफार्म तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
27				वार्ड सं० 28, मो० इन्दिरा कालोनी में लीला टण्डन के मकान से सतेन्द्र दिनेश कुमार, प्रेम बहादुर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
28				वार्ड सं० 28, मो० सैनी नगर में मन्दिर से ओम प्रकाश, प्यारे लाल, चंदर, पप्पू, धर्मा, मुन्नी लाल, मुरारी, रामकुमार, रामलाल व राकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
29				वार्ड सं० 28 मो० नाहिद के पीछे ट्रांसफार्मर से भूरा भाई के कारखाने तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
30				वार्ड सं० 29, मो० इमली झूले वाली में कब्रिस्तान से फारुख भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
31				वार्ड सं० 30, मो० घर गुलाम नासिर खां में दुमहला रोड के पास अब्दुल वहीद के मकान से अमीरा भाई व अकरम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
32				वार्ड सं० 31, मो० राजद्वारा में मस्जिद पीलू गली कोतवाल अब्दुल रहमान साहब के मकान से हफीज खुर्रिद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
33				वार्ड सं० 32, मो० खारी कुंआ में जुनेद अफसर खां के मकान से नफीस खां, इरशाद व असद उल्ला खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
34				वार्ड सं० 33, मो० बजरिया फतेह अली में रफीक के मकान से साबिर पुत्तन के मकान व लाला के कारखाने तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
35				वार्ड सं० 25, मो० बमन पुरी में जमीर खां के घर के पास से नईम भाई भईयन के मकान होते हुये सुएब की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
36				वार्ड सं० 25, मो० बमन पुरी में सईद-ए आजम स्टेडियम से रउफ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
37				वार्ड सं० 25, मो० पंखेवलान में बबू भाई के मकान से मरहूम अनवर खां के मकान होते हुये सब्बीर भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	



120/4

दस्तावेज संख्या - 2248/2019
2248/2019

नया चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किशत की धनराशि का प्रेषण
38				वार्ड सं० 27, मो० चाबुक सराय हसीन खां में कब्रिस्तान से राहत खां के मकान तक व करामत खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
39				वार्ड सं० 27 मो० अंगूरी बाग में महबूब ली साहब के मकान से नईम भाई, जलील खां, शाहिद भाई व शाकिर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
40				वार्ड सं० 27 मो० गुईया तालाब शहतूत वाली मस्जिद के सामने फाटक से आसिम शमती व शुऐब खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
41				वार्ड सं० 27 मो० गुईया तालाब में असलम भाई के मकबरे के गेट तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
42				वार्ड सं० 27 मो० नहरखण्ड रामपुर कार्यालय के पास इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
43				वार्ड सं० 28, मो० मैया की बगिया में अमीर भाई के मकान से जमीर भाई के मकान तक एवं अमीर भाई के मकान से महबूब भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
44				वार्ड सं० 28, मो० मैया की बगिया में हबीब भाई के मकान से शाहिद भाई, अल्ला रखे, शकील व कले भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
45				वार्ड सं० 28, मो० मैया की बगिया जियार खोरमा तालिब के मकान से मूरा, आरिफ मौ० उमर व दिलदार के मकान व कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
46				वार्ड सं० 33, मो० बजरिया फतेह अली नाने की पुलिया से यासीन भाई, सलीम, सिफे के मकान व मेन रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
	योग				667.675

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



120/5

- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम/अन्तिम किश्त की 100 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक